

21-12
 2021
 पत्रावली प्रेषा हुई। वकील प्राची भाई अनुप
 पत्रावली के ऊपरोक्त से ज्ञात है कि सडी
 ने राजकीय विभागक सडी ग्राम विखसवपुर
 के खसरा नंबर 9906/9907 खसरा 154 खसरा
 खसरा नंबर 9907 खसरा 107 खसरा व खसरा
 नंबर 1112 खसरा D-08 खसरा की उत्पत्ति
 कब्जे के आधार पर खसरी की मात्रा
 की गई है जहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट
 द्वारा पारित निर्णय के परिणामस्वरूप खसरी
 के अनुसार उत्पत्ति कब्जे के आधार पर

रामेश्वरी सेने को प्रतिबंधित किया गया
 है। जिससे गाड़ी पत्र का उत्तर मांग
 धारा 151 के तहत प्रदत्त शर्तियों
 के अनुसरण में समाप्त किया जाता
 है। प्रतापवी नक्सल शुमार होकर जेकर
 से कर ही 